निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक– 15.01.2026 एवं 16.01.2026 को परिवहन विभाग, NIC एवं SDC के साथ VLT Device, Road Gantry एवं अन्य मुद्दों से संबंधित बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः– संलग्न

समीक्षा के क्रम में निदेशक, खान द्वारा विभाग में NIC से संबंधित मुद्दों के संबंध में निम्नलिखित निदेश दिये गये–

1. E-proc के API प्राप्त कर खननसॉफ्ट से Integrate किया जाए, ताकि नीलामी के बाद उच्चतम डाकवक्ता एवं खनन पट्टा की विवरणी e-proc के माध्यम से खननसॉफ्ट पर स्वतः प्राप्त होते हुए संबंधित खनन पट्टा का Profile Create हो जाए।

(अनुपालन :– आई0 टी0 प्रबंधक / NIC)

2. API Integration हेतु खनन पट्टा के संबंध में आवश्यक प्रविष्टि की सूची बेल्ट्रॉन को उपलब्ध कराया जाय।

(अनुपालन :– उप सचिव / NIC)

3. NIC द्वारा VLTS Device का Whitelisting का अनुरोध किया गया है। चूँकि इन उपकरणों का नियंत्री प्राधिकार परिवहन विभाग है, अतः SDC whitelisting की कार्रवाई भी परिवहन विभाग द्वारा किया जाना है। विभागीय पत्रांक– 304 दिनांक– 09.01.2026 से SDC whitelisting हेतु परिवहन विभाग से अनुरोध किया गया है। वाणिज्यिक वाहनों में अधिष्ठापित VLT Device में e-sim की SDC whitelisting की कार्रवाई अविलम्ब पूर्ण किया जाय।

(अनुपालन :– परिवहन विभाग / SDC)

4. NIC के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि IP Range नहीं होने के कारण GPS Spoofing की संभावना बनी रहती है, इसलिए परिवहन विभाग से अनुरोध किया गया कि VLTD Maker कंपनियों को M2M IP Range समर्पित करने का निदेश दिया जाय एवं NIC द्वारा Data की सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी आवश्यक कदम उठाये जाएं तथा खनन सॉफ्ट एवं अन्य Portal के Security features का समीक्षा कर इस तरह के छेड़–छाड़ / उल्लंघन के मामलों में स्वतः Trigger Generate करने का प्रावधान किया जाए।

(अनुपालन :– परिवहन विभाग / NIC)

5. वर्त्तमान में NIC द्वारा विकसित किया गया सॉफ्टवेयर में तकनीकि खामियों के कारण वाहन मालिकों द्वारा उल्लंघन की दशा में सॉफ्टवेयर द्वारा स्वतः Trigger Generate नहीं हो पाता है। वर्त्तमान में GPS/Geo-fencing से संबंधित उल्लंघनों यथा बफर जोन से बाहर लोकेशन रहने पर, चालान निर्गत करने / लोडिंग प्वाईंट से Trip History जेनरेट नहीं होने तथा वाहन का Trip गंतव्य पर आधारित न होकर चालान के वैधता की अवधि तक होने इत्यादि को सॉफ्टवेयर द्वारा रिपोर्ट नहीं किया जा रहा है। इससे एक ही चालान पर एक

से अधिक बार परिवहन करने, वाहनों द्वारा दूसरे ई–चालान का दुरूपयोग करने इत्यादि की संभावना बनी रहती है। NIC के साथ MoU के अनुसार सभी सॉफ्टवेयर संबंधी तकनीकी कार्य NIC द्वारा निष्पादित किया जाना है।

NIC को निदेश दिया गया कि सॉफ्टवेयर में इस प्रकार की व्यवस्था किया जाय, जिससे सभी प्रकार के उल्लंघनों की स्थिति में अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु संबंधित जिले के Khanansoft पोर्टल Login पर स्वतः Trigger जेनरेट जो जाय। इसके अलावा NIC को GPS Device Tampering के मामले में दण्ड का भुगतान होने के पश्चात् भी तीन माह तक चालान निर्गत नहीं होने का प्रावधान पोर्टल में करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :– NIC)

6. GPS लोकेशन से भिन्न चालान निर्गत होने पर संबंधित लीजधारी पर कार्रवाई हेतु अविलम्ब संबंधित जिले के Login पर स्वतः Trigger जेनरेट होने की व्यवस्था की जाय।

(अनुपालन :– NIC)

7. SDC में Technical Infrastructure बढ़ाने के संबंध में समीक्षा कर स्पष्ट प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने हेतु NIC को निदेश दिया गया। इस संबंध में आई0टी0 प्रबंधक को NIC एवं SDC से सम्पर्क स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :– NIC)

8. खनन सॉफ्ट पोर्टल पर परिवहन विभाग द्वारा अनुमोदित एजेंसी से ही खान एवं भूतत्व विभाग में खनिज का परिवहन के लिए वाहनों में VLTS उपकरणों को अधिष्ठापित करने हेतु सूचीबद्ध किया जाता है। वर्त्तमान में VLT Device का अधिष्ठापन वाहन मालिक द्वारा किया जा रहा है, जिसमें कुछ मामलों में पाया गया है कि VLT Device में e-sim एवं IMEI Number चिन्हित/सही लोकेशन से प्रतिवेदित नहीं हो रहा है। बिहार ट्रक ऑनर एसोसियेशन द्वारा सूचित किया गया है कि परिवहन विभाग द्वारा अनुमोदित एजेंसियों द्वारा लगाये गये VLTD Device में GPS Location अपडेट नहीं होने के कारण वाहन मालिकों को चालान निर्गत होने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कुछ वाहन मालिक द्वारा VLT Device कंपनियों के पास GPS मैनुअली अपडेट करने हेतु अनुरोध किया जा रहा है, जिसके कारण GPS Spoofing की संभावना उत्पन्न हो रही है। अतः परिवहन विभाग को VLT Device के कंपनियों से निम्न कार्रवाई सुनिश्चित किये जाने का अनुरोध किया गया :–

   i. सभी VLT Device मानक के अनुसार हो, ताकि GPS लोकेशन स्वतः प्राप्त हो सके।

   ii. IP Range को पूर्णतः Secure किया जाय, ताकि GPS Spoofing की संभावना नहीं रहे।

iii. अन्य सार्वजनिक वाहनों की तरह खनिज परिवहन में प्रयुक्त होने वाले वाहनों में VLT Device का सत्यापन जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा किया जाय।

(अनुपालन :– NIC/परिवहन विभाग)

9. एक IMEI दूसरे वाहन के साथ संबद्ध नहीं हो, यह सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश NIC को दिया गया।

(अनुपालन :– NIC)

10. अवैध परिवहन एवं ओवर लोडिंग के दृष्टिकोण से संवेदनशील मार्गों पर Check-Post, CCTV, ANPR, RFID, WIM इत्यादि के अधिष्ठापन हेतु प्रस्तावित स्थलों की सूची GPS Co-ordinate सहित परिवहन विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश सहायक निदेशक (मु0) को दिया गया।

11. परिवहन विभाग को CCTV, ANPR, RFID, WIM इत्यादि के अधिष्ठापन हेतु निम्न सुझाव दिया गया :–

i. **खनन सॉफ्टवेयर का Road Gantry के सॉफ्टवेयर से एकीकरण–** खान एवं भूतत्व विभाग के संबंधित नियमों के उल्लंघन की दशा में Auto Generated Report प्राप्त करने एवं नियमानुसार कार्रवाई हेतु सॉफ्टवेयर का एकीकरण (Integration) आवश्यक है, ताकि खनन विभाग के चालान के साथ वाहनों की पहचान हो सके।

ii. **खनन वाहनों पर लाल पट्टी (Red Strip) की पहचान–** खनन वाहनों पर अधिष्ठापित लाल पट्टी की पहचान हेतु ऐसे सिस्टम विकसित हों, जो वाहनों पर लगे लाल पट्टी को स्वचालित रूप से पहचान सके एवं Image स्वचालित रूप से रिकार्ड कर सके।

iii. **ढके हुए वाहनों की पहचान–** यदि संभव हो तो, ट्रक में ढके हुए सामग्री की पहचान हेतु तंत्र विकसित हो।

iv. **लोडेड ट्रकों की स्थिर छवियाँ (Still Images) एवं विडियो फूटेज–** हर लोडेड ट्रक की हाई–रिजॉल्यूशन छवि एवं उल्लंघन की दशा में संबंधित वाहनों का विडियो फूटेज का स्वचालित रूप से रिकार्ड का प्रावधान हो।

v. **ओवर लोडेड वाहनों की पहचान–** हर लोडेड वाहनों के क्षमता की माप हेतु स्वचालित तंत्र जैसे Weigh In Motion का अधिष्ठापन चेक पोस्ट पर किया जाय।

12. सहायक निदेशक (मु0) को बिहार खनिज नियमावली में खनिजों के परिवहन से संबंधित नियमों, प्रावधानों एवं शमन की राशि उल्लंघन के प्रकार के साथ परिवहन विभाग/NIC को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया, ताकि स्वतः Software आधारित नोटिस निर्गमन प्रारंभ हो सके।

13. NIC को पूर्व में सॉफ्टवेयर में आवश्यक सुधार हेतु कई बार निदेशित किया जा चुका है, परन्तु इसमें अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है। निदेश दिया गया कि Data की सुरक्षा एवं Spoofing को रोकने हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यथाशीघ्र पूर्ण किया जाय।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

16/03

(मनेश कुमार मीणा)
निदेशक, खान

ज्ञापांकः– 1899 /एम0, पटना, दिनांक :– 16/03/26

प्रतिलिपि :– अपर सचिव, परिवहन विभाग/राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC), बिहार, पटना/SDC के प्रतिनिधि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/03/26

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– 1899 /एम0, पटना, दिनांक :– 16/03/26

प्रतिलिपि :– सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/निदेशक कोषांग/सभी तकनीकी पदाधिकारी (मु0)/आई0टी0 प्रबंधक खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/26

सरकार के अवर सचिव